लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

क्रमांक : E/B&R/E.O.I/36/2021-22/25 ..... 14. मार्च, 2022

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के आमंत्रण हेतु सूचना

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर के परिसर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों को सौपने हेतु सुपात्र एवं प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों (केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या स्वामित्व वाले) का 05 वर्ष के लिए पैनल बनाने हेतु यह संस्थान सीलबंद दो-बोलियों (तकनीकी और मूल्य) में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करता है। विवरण और अनुसूची इस प्रकार हैं:-

प्रपत्र (फॉर्म) शुल्क	निरंक (दस्तावेज़ को संस्थान या सीपीपीपी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है)
अनुमानित लागत	रुपये लगभग 2500 लाख (5 वर्ष की पैनल समयावधि के दौरान)
बयाना राशि	रुपये 25,00,000/- (पैनल बनाने की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद असफल बोलीकर्ताओं को वापसी किए जाने योग्य)
ई.ओ.आई. दस्तावेज़ जारी करने की तिथि	**11/04/2022**
ई.ओ.आई. जमा करने की अंतिम तिथि और समय	**11/04/2022** अपराह्न 3.00 बजे तक
तकनीकी बोली और ई.एम.डी. वाले लिफाफे खोलने की तिथि और समय	**11/04/2022** शाम 4.00 बजे
योग्य तकनीकी बोलीकर्ताओं के वित्तीय बोलियों वाले लिफाफे को खोलने की तिथि और समय	तकनीकी बोलियों की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा (योग्य तकनीकी बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा)।

इच्छुक पी.एस.यू., जो स्वयं को इस निविदा दस्तावेज में दी गयीं ई.ओ.आई. की पात्रता शर्तों के अनुसार योग्य पाते हैं, निर्धारित प्रारूप में अपनी बोलियाँ सभी सूचनाओं, दस्तावेजों, बैंक ड्राफ्ट द्वारा ई.एम.डी. जो "कुलसचिव, एल.एन.आई.पी.ई." के पक्ष में ग्वालियर में देय हो, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या पत्रवाहक द्वारा इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे उपरजिस्ट्रार (संपदा), एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में निर्धारित अनुसूची के अनुसार पहुंच सकें।

विस्तृत ई.ओ.आई. दस्तावेज़-सह-प्रपत्र संस्थान की वेब साइट www.lnipe.edu.in के साथ-साथ सी.पी.पी.पी. पोर्टल पर उपलब्ध है, जो इस एनआईटी का अभिन्न अंग है और इसे प्रस्तुत करने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

ए.एस. साजवान 11/03/22

(प्रो. ए.एस. साजवान)

प्रभारी कुलसचिव

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के आमंत्रण हेतु सूचना

1. **परिचय :** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर (एल.एन.आई.पी.ई.) एक स्वायत्त निकाय है, जो भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है, और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या स्वामित्व वाले) से 5 साल की अवधि के लिए एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर के परिसर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों हेतु एकमुश्त सेवा शुल्क पर "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" को आमंत्रित करता है।

2. **शासनादेश :** एल.एन.आई.पी.ई., वर्तमान वित्तीय नियमों, 2017 के नियम 133 (3) में निहित प्रावधान के अनुसार, जो कि नीचे वर्णित है, एकमुश्त सेवा शुल्क में प्रतिस्पर्धा के लिए वर्तमान ई.ओ.आई. को आमंत्रित कर रहा है : -

नियम 133 (3) 133 (2) के विकल्प के रूप में, मंत्रालय या विभाग ऐसे मरम्मत कार्यों को, जिनकी अनुमानित लागत तीस लाख रुपये से अधिक है, एवं किसी भी लागत के मूल कार्यों को निम्नलिखित को सौंप सकता है :

(i) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, जिसकी स्थापना सिविल या इलेक्ट्रिकल कार्यों को करने के लिए की गयी हो, अथवा

(ii) ऐसे किसी भी अन्य केंद्रीय / राज्य सरकार के संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, जिसे शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) द्वारा उनकी वित्तीय शक्ति और तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद इस तरह के उद्देश्यों हेतु अधिसूचित किया गया हो।

इस उप-नियम के तहत कार्य को सौंपने हेतु, मंत्रालय / विभाग ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों / संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा। यह प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से काम के निष्पादन के लिए दावा किए जाने वाले एकमुश्त सेवा शुल्क पर होगी।"

3. **संदर्भ की शर्तें :**

पैनलबद्ध पी.एस.यू. के लिए संदर्भ की शर्तों में कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण-पूर्व, निर्माण दौरान एवं निर्माण उपरांत की गतिविधियां शामिल होंगी; अन्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं : -

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और वांछित / प्रस्तावित जमा कार्य का प्रारंभिक अनुमान तैयार करना, जो सौंपे जा रहे किसी भी कार्य की स्वीकृति के लिए आवश्यक है;

ii. प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति हेतु सी.पी.डब्ल्यु.डी. या किसी अन्य लोक निर्माण संगठनों द्वारा तैयार की गयी दरों की अनुसूची के आधार पर विस्तृत वर्गीकरण और विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का विवरण देते हुए विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, ड्राइंग, वर्गीकरण और विस्तृत अनुमान तैयार करना;

iii. निविदाओं को आमंत्रित करना और समय-समय पर जारी नियमों और सी.वी.सी. निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया को आमंत्रित करने से लेकर कार्यान्वयन एजेंसी (ठेकेदार) के चयन तक पूरी प्रक्रिया करना;

iv. सी.पी.डब्ल्यु.डी. मैनुअल और सी.पी.डब्ल्यु.डी., सी.वी.सी. और सामान्य वित्तीय नियमों द्वारा किए गए समान कार्यों हेतु निर्धारित वित्तीय और लेखा नियमों को रेखांकित करते हुए सिद्धांतों के अनुरूप सौंपे गए कार्य को निष्पादित करना;

v. सभी वैधानिक और कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहित कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण और सुविधा;

vi. सी.पी.डब्ल्यु.डी. मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर को समय-समय पर सौंपे गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपना;

vii. समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार और कार्य-वार खातों के अंतिम निपटान और एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर को कार्य पूरा करके सौंपने के बाद, तीन महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो; एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर को अंतिम रिपोर्ट सौंपना।

viii. प्रस्तावित कार्य(ओं) को पूरा करने के लिए आकस्मिक और आवश्यक कार्य की कोई अन्य मद।

4. **कार्य का दायरा :**

1. एल.एन.आई.पी.ई. अगले पांच वर्षों के दौरान ग्वालियर स्थित अपने परिसर में अनुमानतः निम्नलिखित आधारभूत ढांचे का निर्माण प्रस्तावित करता है, जो कि भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पर्याप्त धन की उपलब्धता के अधीन है, और जिसके लिए वर्तमान पैनल बनाया जा रहा है: -

क्रम संख्या	**प्रस्तावित आधारभूत ढांचे का विवरण**	**वर्तमान अनुमोदित अनुमानित लागत (लाख रुपये में)**
1.	फीफा पैटर्न के अनुसार फुटबॉल पिच को बिछाना	284.00
2.	वैज्ञानिक प्रयोगशाला (भूतल तल) और कक्षाओं (प्रथम तल) का निर्माण	279.00
3.	वर्कशॉप इमारत का निर्माण	234.00
4.	आवासों का निर्माण - टाइप V आवास भूतल + 1 (6 नग) एवं टाइप IV आवास भूतल + 2 (12 नग)	798.00
5.	दो सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य फ्लड लाईट सहित	90.28
6.	मल्टीपरपज हॉल की फ्लोरिंग बदलना कार्य	141.34
7.	400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक में स्पिर्रिकलर सिस्टम, पम्प हाउस ट्यूब बैल सहित कार्य	54.74
8.	पैनल अवधि के दौरान एल.एन.आई.पी.ई. की आवश्यकतानुसार कोई भी अन्य कार्य (सिविल या इलेक्ट्रिकल)	618.63
	कुल रुपये	**2500.00**

2. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि उपर्युक्त कार्यों को उनके सम्मुख दर्शाई गई अनुमानित लागतों के साथ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है, फिर भी संस्थान अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और धन की उपलब्धता के अधीन पैनलबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों को चरणबद्ध तरीके से कार्य सौपने का अधिकार रखता है। इस प्रकार, संस्थान पाँच वर्ष की पैनल अवधि के दौरान उपर्युक्त सभी कार्यों को सौंपने या न सौंपने का निर्णय ले सकता है।
3. संस्थान ऐसे किसी भी कार्य को सौंपने का भी अधिकार रखता है, जिसका उल्लेख वर्तमान दस्तावेज में नहीं है।

5. **पात्रता मानदंड :**

i) बोलीकर्ता को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या उसके स्वामित्व में है (निगमन / पंजीकरण और एम.ओ.ए. / एसोसिएट्स के अनुच्छेद के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें)।

ii) बोलीकर्ता के पास आयकर अधिनियम के तहत जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) है। (पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न अभिस्वीकृति के साथ इसकी प्रति जमा करें)।

iii) बोलीकर्ता के पास जी.एस.टी.आई.एन. पंजीकरण प्रमाणपत्र है (पिछले तीन माह के जी.एस.टी. रिटर्न की प्रतियों के साथ इसकी प्रति जमा करें))।

iv) पिछले पांच वित्तीय वर्षों, 01.4.2016 से 31.3.2021, के दौरान बोलीकर्ता ने शासकीय संगठनों में रुपये 10 करोड़ के निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं। ;

अथवा

बोलीकर्ता ने पिछले पांच वर्षों, 01.4.2016 से 31.3.2021, के दौरान शासकीय संगठनों में 10 करोड़ रुपये लागत के खेल स्टेडियम / सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक या सिंथेटिक हॉकी टर्फ / खेल आधारभूत ढांचा / प्रीफैब्रिकेटेड आधारभूत परियोजनायें सफलतापूर्वक पूरी की हैं। (तकनीकी बोली प्रारूप में दिए गए निर्धारित प्रारूप में विस्तृत विवरणों के साथ कार्य प्राप्ति एवं पूर्णता प्रमाणपत्रों की प्रति के साथ प्रस्तुत करें)।

v) बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित न्यूनतम संख्या में योग्य पेशेवर कर्मचारी नियुक्त हैं :

अ) सिविल इंजीनियर (न्यूनतम योग्यता - बी.ई. / बी.टेक.) - 50

ब) इलैक्ट्रिकल इंजीनियर (न्यूनतम योग्यता - बी.ई. / बी.टेक.) - 10

स) वास्तुविद या आर्किटेक्ट (न्यूनतम योग्यता - बी. आर्क.) - 05

(तकनीकी बोली में निर्धारित प्रारूप में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें)

vi) बोलीकर्ता का पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार 100 करोड़ रुपये का है। (निर्धारित अंतिम प्रारूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार का प्रमाण पत्र" को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और पिछले पांच वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते के साथ प्रस्तुत करें)।

vii) बोलीकर्ता, जमा कार्यों के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों, निर्देशों, टिप्पणियों और नियमों से भलीभांति परिचित है?

viii) क्या बोलीकर्ता सी.पी.डब्ल्यु.डी. मैनुअल और जमा कार्यों की अनुसूचित दरों से भलीभांति परिचित है?

ix) बोलीकर्ता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है और इसने ई.पी.एफ., ई.एस.टी., जी.एस.टी., आयकर जैसे सांविधिक बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। इस आशय की घोषणा रुपये 200/- के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

x) बोलीकर्ता पी.एस.यू. को किसी भी सरकारी संगठन / पी.एस.यू. / स्वायत्त निकाय / शासकीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा अतीत में ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले इसके किसी भी अनुबंध को समाप्त किया गया है, और न ही बोलीकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है और यह वर्तमान ई.ओ.आई. दस्तावेज़ में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है। इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6. निविदा फार्म की लागत और प्रतिभूति बोली राशि :

1. आवेदन पत्र निशुल्क है, और इसे बोलीकर्ता द्वारा संस्थान या सी.पी.पी.पी. की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

2. रुपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) की प्रतिभूति बोली राशि को "कुलसचिव, एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर" के पक्ष में ग्वालियर में देय बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करना आवश्यक है।

3. असफल बोलीकर्ताओं की प्रतिभूति बोली राशि को ई.ओ.आई. प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद वापस कर दिया जाएगा।

4. सफल बोलीकर्ता पी.एस.यू. की ई.एम.डी. को आंशिक प्रदर्शन सुरक्षा राशि के रूप में बरकरार रखा जाएगा, जो कि इस दस्तावेज में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पैनल अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के बाद यह वापिसी योग्य होगा।

5. अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा राशि को जमा किया जाना (प्रदान किए गए प्रत्येक कार्य के अनुमानित लागत का 2% की दर से) जो कि कार्य समाप्त या दायित्व अवधि समाप्त होने पर जो भी बाद में हो, वापसी योग्य होगी।

6. ई.एम.डी./ निष्पादन सुरक्षा के पुनर्भुगतान (रिफंड) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. ई.एम.डी. जमा न करने की स्थिति में, बोली (यों) को अपूर्ण माना जाएगा और तदनुसार, सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

8. ई.एम.डी. / निष्पादन सुरक्षा भी जब्त करने योग्य होगी :
   - यदि वैधता अवधि या उसके बाद अन्य किसी विस्तार के दौरान बोली वापस ले ली जाती है।
   - यदि ई.ओ.आई. खुलने के बाद या वैधता अवधि या उसके बाद अन्य किसी विस्तार के दौरान बोली में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, जो एल.एन.आई.पी.ई. को स्वीकार्य न हो।
   - यदि बोलीकर्ता चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
   - एन.आई.टी. की दशाओं में किसी भी तरह का उल्लंघन एल.एन.आई.पी.ई. को स्वीकार्य नहीं है।

7. **बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :**

1. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) को एक मुख्य सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर **एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.)** लिखा हो, उपकुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में दिनांक 11.04.2022 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. निविदाओं को स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / कुरियर द्वारा भी लिफाफे पर उपर्युक्त विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए इस प्रकार भेजा जा सकता है कि यह कुलसचिव, **एल.एन.आई.पी.ई., मेला रोड, शक्तिनगर, ग्वालियर 474002 (म.प्र.)** में दिनांक 11.04.2022 को सायं 3.00 बजे तक पहुंच जाये।
3. मुख्य निविदा लिफाफे में तीन सीलबंद लिफाफे शामिल होने चाहिए: -

   लिफाफा नंबर 1 - ई.एम.डी. के रूप में रुपये 25,00,000/- का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक (लिफाफे पर लिखें - "ई.एम.डी.");

   लिफाफा नंबर 2 - सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ **संलग्नक 'ए'** के अनुसार **"तकनीकी बोली",** (लिफाफे पर लिखें - **"तकनीकी बोली"**);

   लिफाफा नंबर 3 - **"संलग्नक 'बी'** के प्रारूप में **"मूल्य बोली"** (लिफाफे पर लिखें - **"मूल्य बोली"**)।

4. बाहरी लिफाफे पर पता, संदर्भ संख्या के साथ **"दिनांक 11.04.2022 (सायं 4.00) के पहले न खोला जाए"** स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए और साथ में बोलीकर्ता का नाम, पता और मुहर भी उल्लिखित होनी चाहिए।

5. यदि बाहरी लिफाफे को सील नहीं किया जाता है और / या उपर्युक्त निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार चिह्नित नहीं किया जाता है, तो एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर लिफाफे के गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त होने या समय से पहले खोल दिए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और यह बोली की अस्वीकृत कर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. यदि मूल्य बोली पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है और उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अलग से सील लिफाफे में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो यह बोली को अधूरा घोषित करने के लिए आधार बनेगा, और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

7. तकनीकी बोली के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या तथा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण और ऐसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अनुप्रमाणित हस्ताक्षर भी दर्शाये जाने चाहिए। प्रतिनिधि को लिखित रूप से पॉवर ऑफ अटार्नी (अधिकार पत्र) या संकल्प पत्र द्वारा प्राधिकृत किया जाना और बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत है।

8. बोलियां सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए और इसमें सभी आवश्यक जानकारियां / आकड़े दिए जाने चाहिए। ऐसी बोलियाँ, जो किसी भी तरह से अधूरी हैं या उनमें कोई कमी है, उन्हें "अनुत्तरदायी" घोषित किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया और निविदा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी सूचना की स्वीकृति के लिए किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. संस्थान किसी भी समय, किसी भी कारण से, तकनीकी बोलियों को खोलने से पहले संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से, निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है, जिसके लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को कोई अलग सूचना नहीं भेजी जाएगी।

10. एकमुश्त सेवा शुल्क को प्रतिशत में दर्शाने की आवश्यकता है, जिसे मूल्य बोली में इस उद्देश्य हेतु दिए गए कॉलम में अंकों और शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

11. बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रपत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियाँ सुपाठ्य हैं और स्पष्ट रूप से भरी गयी हैं, और तकनीकी बोली और मूल्य बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीकर्ता पी.एस.यू. के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

12. निविदा प्रपत्र में किसी भी तरह की ओवर-राइटिंग या सुधार, इसे सरसरी तौर पर खारिज किए जाने हेतु योग्य बनाएगी।

13. सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

14. बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले बोलीकर्ताओं को एल.एन.आई.पी.ई. का दौरा करने और परिसर का निरीक्षण करना आवश्यक है। बोलीकर्ताओं को तकनीकी बोली प्रारूप में इस आशय की घोषणा करनी आवश्यक है।

15. बोलीकर्ता पी.एस.यू. बोली प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि बोलीकर्ता निविदा प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट प्रक्रिया, धोखाधड़ीपूर्ण अभ्यास, या अवांछनीय कार्य में लगे हुए हैं, तो संस्थान उनकी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

16. किसी भी तथ्य को छुपाए बिना सही जानकारी और दस्तावेज देने की जिम्मेदारी बोलीकर्ताओं की है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पी.एस.यू. (ओं) द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी झूठी / गलत / तथ्य छुपाये गए हैं, तो एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर के पास किसी भी तरह की समुचित कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें कार्य सौंपने के लिए बोलीकर्ता की बोली पर विचार न करना और उन्हें ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।

17. ई.ओ.आई. खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी।

8. बोलियों का खुलना :

1. सर्वप्रथम तकनीकी बोलियों और ई.एम.डी. वाले आंतरिक लिफाफे को दिनांक **11.04.2022** को सायं 4.00 बजे एल.एन.आई.पी.ई.,ग्वालियर में बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि(यों), यदि कोई हों, की उपस्थिति में खोला जाएगा।

2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं की मूल्य बोलियों वाले आंतरिक लिफाफे को बोलीकर्ता सार्वजनिक उपक्रमों की तकनीकी दृष्टिकोण से पात्रता की जांच के बाद ही खोला जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं को मूल्य बोलियों को खोलने के समय के बारे में सूचित किया जाएगा, जिन्हें बोलीकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि (यदि कोई हों) की उपस्थिति में ही खोला जाएगा।

3. यदि किसी कारण से कार्यालय निर्धारित तिथि पर बंद हो, तो बोलियों को अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थल पर खोला जाएगा।

9. बोलियों की अस्वीकृति :

1. यदि किसी भी तरह से बोलीकर्ता समस्त अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. बोलीकर्ता द्वारा किसी भी रूप में सिफारिश (कैनवसिंग) करने पर बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. बोलीकर्ता को ई.ओ.आई. दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों का पालन करना होगा और तदनुसार उसे प्रारूप (तकनीकी और मूल्य) में स्पष्ट रूप से भरना होगा, अन्यथा संस्थान उसे अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

4. अहस्ताक्षरित या अपूर्ण भरी हुई निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

5. संस्थान बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

6. उन बोलीकर्ताओं के साथ किसी भी तरह पत्राचार नहीं किया जाएगा, जिन्हें उनकी तकनीकी बोलियों के आधार पर खारिज कर दिया गया हो।

10. पैनलबद्ध बोलीकर्ता पी.एस.यू. को भुगतान किया जाने वाला एकमुश्त सेवा प्रभार :

1. बोलीकर्ताओं को केवल एकमुश्त सेवा प्रभार को वित्तीय बोली में दर्शाये गए कुल वास्तविक लागत के प्रतिशत (%) में देना आवश्यक है। ऐसे शुल्कों पर देय जीएसटी अतिरिक्त होगा जो समय-समय पर लागू होता है।

2. यदि बोलीकर्ता वित्तीय बोली में एकमुश्त सेवा प्रभार के रूप में "निरंक" शुल्क प्रस्तावित करता है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और तदनुसार, इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. बोलीकर्ता का चयन उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम एकमुश्त सेवा शुल्क के आधार पर किया जाएगा।

ASV

4. दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा समान प्रभार के मामले में, बोलीकर्ता का चयन उनके प्रासंगिक अनुभव और वित्तीय क्षमता के आधार पर किया जाएगा, यानि जिस बोलीकर्ता का अनुभव अधिक प्रासंगिक हो और वित्तीय क्षमता अधिक हो, उसे पैनलबद्ध करने में दूसरों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

5. एकमुश्त सेवा शुल्क में बोलीकर्ता पी.एस.यू. का लाभ और ऐसे करों, परामर्श इत्यादि समेत कार्य के निष्पादन में हुए सभी व्यय, जिन्हें उक्त पैनलबद्ध पी.एस.यू. द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यक माना गया हो, सम्मिलित होगा।

11. पैनल की अवधि :

1. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों पर पैनल की अवधि पांच वर्ष के लिए होगी।

2. पैनल में शामिल किए गए बोलीकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में कमी के कारण किसी भी समय पैनल को निर्धारित अनुबंध अवधि से पहले ही कम / समाप्त किया जा सकता है।

3. पैनल की अवधि पूर्ण हो जाने पर यह स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से इसकी समयसीमा में विस्तार नहीं किया जाता है। हालाँकि, पैनल समयावधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को बोलीकर्ता पी.एस.यू. को एनआईटी और समझौते के नियमों और शर्तों पर ही पूर्ण करना होगा।

4. 02 माह की नोटिस अवधि पर कोई भी पक्ष पैनल के अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि एल.एन.आई.पी.ई. पैनल को समाप्त करने का निश्चय करता है, तो वह बोलीकर्ता पी.एस.यू. को अब तक किए गए कार्य के वास्तविक व्यय का भुगतान करेगा। यदि इसे बोलीकर्ता पी.एस.यू. द्वारा समाप्त किया जाता है, तो एल.एन.आई.पी.ई. को कोई मुआवजा देय नहीं होगा, लेकिन जो काम प्रगति पर है, उसे बोलीकर्ता पी.एस.यू. द्वारा अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा।

12. निष्पादन सुरक्षा राशि:

1. पैनलबद्ध बोलीकर्ता पी.एस.यू. द्वारा प्रस्तुत की गयी निष्पादन सुरक्षा राशि को यहां ऊपर दिए गए अनुसार बरकरार रखा जाएगा।

2. निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. निविदा में निर्धारित किसी भी शर्तों और दशाओं के उल्लंघन के मामले में, निष्पादन सुरक्षा राशि को संस्थान द्वारा ज़ब्त किया जा सकता है, साथ ही साथ पैनल को रद्द किया जा सकता है।

4. अगर पैनलबद्ध बोलीकर्ता संस्थान की संतुष्टि के अनुसार दिए गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, या वर्तमान ई.ओ.आई. की किसी भी शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास इस संबंध में 01 माह की लिखित सूचना पर निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। संस्थान के पास बोलीकर्ता पी.एस.यू. को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।

13. **पैनलबद्ध करना** :

1. उपर्युक्त निर्धारित बोली प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, संस्थान चयनित पी.एस.यू. को इस आशय का एक पत्र जारी करेगा।

2. सफल पी.एस.यू. को लिखित रूप में चयनित करने के बाद एकमुश्त सेवाप्रभार के साथ सूचीबद्ध पी.एस.यू. का विवरण विभागीय वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। भाग लेने वाले अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों को भी परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा।

3. पैनलबद्ध पी.एस.यू. को संस्थान के साथ इस ई.ओ.आई. के साथ संलग्नक - 'डी' के रूप में दिए गए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर आशय पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हस्ताक्षर करने होंगे और काम सौंपे जाने के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ करना भी अपेक्षित है।

14. **व्यावसायिक नैतिकता और गोपनीयता का रखरखाव :** पैनलबद्ध पी.एस.यू. और उनके अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी, कार्मिक अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। पैनलबद्ध पी.एस.यू. को व्यावसायिक नैतिकता और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और वे किसी भी व्यक्ति / पार्टी / फर्म या किसी तीसरे पक्ष से आंतरिक सूचनाओं को साझा नहीं करेंगे।

15. **मध्यस्थता और न्यायक्षेत्र :**

1. इस निविदा से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद / मतांतर, नियमों और शर्तों की व्याख्या सहित, को संबंधित पक्षों के मध्य संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा।

2. हालाँकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल नहीं किया जा पाता है, तो मामला मध्यस्थता अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति, एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा की जाएगी।

3. यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के बाद भी विवाद का निपटारा नहीं होता है, तो विवाद की सुनवाई सिर्फ ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में होगी।

4. एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा सौंपे गए कार्य (ओं) से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता के मामले में, पैनलबद्ध पी.एस.यू. कार्य के निष्पादन से संबंधित सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों और अदालत में मामले का बचाव करेगा। एल.एन.आई.पी.ई. किसी भी समय मध्यस्थता की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है और ऐसे मामले में, पैनलबद्ध पी.एस.यू. को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। एल.एन.आई.पी.ई. को मध्यस्थता के प्रत्येक चरण में मध्यस्थता के मामलों से पूरी तरह अवगत रखा जाएगा अर्थात मध्यस्थ की नियुक्ति, तथ्यों के विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना और तथ्यों के प्रतिदावा, दैनिक सुनवाई शीट, निर्णय की प्रति और अंतिम निर्णय की प्रतिलिपि आदि। एल.एन.आई.पी.ई. अपने पास उपलब्ध ऐसी किसी भी अतिरिक्त जानकारी को प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो उसकी राय में, मध्यस्थता के मामले का बचाव करने में सहायक साबित हो सकती है। मध्यस्थता की कार्यवाही में एल.एन.आई.पी.ई. के विरुद्ध पारित किसी भी आदेश के मामले में, पैनलबद्ध पी.एस.यू. एल.एन.आई.पी.ई. से मध्यस्थता न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार करने या चुनौती देने का निर्णय लेने के पूर्व परामर्श करेगा, और यहकि वह एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर के परामर्श को समुचित महत्त्व देगा।

ए. एस. साजवान
11/03/22.
(प्रो. ए.एस. साजवान)
प्रभारी कुलसचिव

संलग्नक ए

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु तकनीकी बोली के लिए प्रपत्र

क्रम संख्या	आवश्यक विवरण	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण	प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण / टिप्पणी
1	बोलीकर्ता संगठन का नाम		
2	वेबसाइट, टेलीफोन (लैंडलाइन), मोबाइल, फैक्स, ई-मेल आईडी के साथ पूरा डाक पता		
3	बोलीकर्ता की स्थिति, अर्थात i) केंद्र सरकार संगठन; ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम; iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम; iv) राज्य सरकार संगठन; v) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम; vi) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम		निगमन प्रमाणपत्र/ पंजीकरण और समझौता ज्ञापन/ एसोसियेशन अनुच्छेद सहित सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें
4	ई.ओ.आई., पत्राचार, समझौता ज्ञापन जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर।		लिखित अधिकार पत्र (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) या संकल्प पत्र के रूप में प्राधिकार पत्र संलग्न करें।
5	शाखाओं का पता, यदि कोई हो।		पृथक रूप से संलग्न करें, यदि कोई हो।
6	स्थापना वर्ष		
7	ई.एम.डी. भुगतान का विवरण	**रुपये 25,00,000/-** बैंक ड्राफ्ट नं. दिनांक बैंक शाखा	अलग से सीलबंद लिफाफे में मूलप्रति में प्रस्तुत करें

8	आयकर अधिनियम के तहत जारी स्थायी खाता संख्या (पैन)		पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न की पावती के साथ इसकी प्रति संलग्न करें
9	जी.एस.टी.आई.एन. पंजीकरण प्रमाणपत्र		पिछले तीन माह के अद्यतन जी.एस.टी. रिटर्न की प्रतियों के साथ इसकी प्रति संलग्न करें
10	जमा कार्यों को पूरा करने का प्रासंगिक अनुभव (वर्षों में)		
11	पिछले पांच वित्तीय वर्षों, 01.4.2016 से 31.3.2021, के दौरान शासकीय संगठनों में रुपये 50 करोड़ के सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों का विवरण। ; अथवा पिछले पांच वर्षों, 01.4.2016 से 31.3.2021, के दौरान शासकीय संगठनों में सफलतापूर्वक पूरी की गयीं 10 करोड़ रुपये लागत के खेल स्टेडियम/सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक या सिंथेटिक हॉकी टर्फ/ खेल आधारभूत ढांचा/प्रीफैब्रिकेटेड आधारभूत परियोजनाओं के निर्माण का विवरण		पिछले पांच वित्तीय वर्षों (1.4.2016 से 31.3.2021) के दौरान जमा कार्यों और उससे संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र के संबंध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करें ए. क्रम संख्या बी. ग्राहक / संगठन का नाम सी. कार्य की प्रकृति डी. कार्य का मूल्य ई. कार्य प्राप्त होने की तिथि एफ. कार्य पूर्ण होने की तिथि जी. पूरा होने की अवधि
12	पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार।	1.4.2016 से 31.3.2021 की अवधि की जानकारी इस प्रकार है :- <u>वित्तीय वर्ष कारोबार लाभ / हानि</u> 2016-17 2017-18	**संलग्नक - सी** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "वार्षिक कारोबार के प्रमाण पत्र" के साथ आयकर रिटर्न व इन पांच वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंसशीट और लाभ-हानि खातों का विवरण संलग्न करें।

		2018-19 2019-20 2020-21	
13	बोलीकर्ता के पास नियुक्त योग्य पेशेवर कर्मचारियों का विवरण : अ) सिविल इंजीनियर (न्यूनतम योग्यता - बी.ई. / बी.टेक.) ब) इलैक्ट्रिकल इंजीनियर (न्यूनतम योग्यता - बी.ई. / बी.टेक.) स) वास्तुविद या आर्किटेक्ट (न्यूनतम योग्यता - बी. आर्क.) (इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न करें जैसे रोल पर मौजूद कार्मिकों के नाम सहित उन्हें एन.ई.एफ.टी. या ई.पी.एफ./ एन.पी.एस. द्वारा किए गए पारिश्रमिक का भुगतान)		जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए: - ए. क्रम संख्या बी. व्यक्ति का नाम सी. पदनाम डी. नियुक्ति की तिथि ई. शैक्षणिक योग्यता एफ. कुल अनुभव जी. बोलीकर्ता के साथ अनुभव सारांश : ए. सिविल इंजीनियर, कुल ..... बी. इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कुल.... सी. आर्किटेक्ट, कुल .....
14	बोलीकर्ता के बैंक खाते का विवरण	खाता क्रमांक खाते का प्रकार बैंक शाखा आई.एफ.एस.सी.	पिछले एक महीने के विवरण / पासबुक के साथ खाते का विवरण प्रस्तुत करें।
15	क्या बोलीकर्ता जमा कार्यों के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों, निर्देशों, टिप्पणियों और नियमों से अवगत है?		
16	क्या बोलीकर्ता जमाकार्यों की निगरानी हेतु सी.पी.डब्ल्यु.डी. मैनुअल और दर अनुसूची से अवगत है?		
17	क्या बोलीकर्ता स्थानीय निर्माण उपनियम, नियमों और विनियमों से अवगत है?		

18	क्या बोलीकर्ता के पास लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार या किसी अन्य वैधानिक एजेंसी द्वारा जारी वरीयता है?		उसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें
19	संदर्भ की शर्तों पर सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बोलीकर्ता के "दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली" पर एक विस्तृत लेख।		अलग से शीट संलग्न करें
20	बोलीकर्ता के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है और उसने ई.पी.एफ., ई.एस.टी., जी.एस.टी., आयकर जैसे सांविधिक बकाये के भुगतान में कोई चूक नहीं की है, इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।		मूलप्रति संलग्न करें
21	बोलीकर्ता पी.एस.यू. को किसी भी सरकारी संगठन / पी.एस.यू. / स्वायत्त निकाय / शासकीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा अतीत में ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले इसके किसी भी अनुबंध को समाप्त किया गया है, और न ही बोलीकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है और यह वर्तमान ई.ओ.आई. दस्तावेज़ में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है। इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।		मूलप्रति संलग्न करें
22	अन्य कोई जानकारी		

घोषणा

1. हमने ई.ओ.आई. दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।
2. हमने ग्वालियर में स्थित संस्थान के परिसर का भ्रमण किया है और कार्य के दायरे के साथ-साथ विस्तृत दस्तावेज में दी गयी संदर्भ की शर्तों को भी समझ लिया है और तदनुसार, वर्तमान बोली प्रस्तुत की है।
3. हम एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर द्वारा उनके जमा कार्यों या आधारभूत ढांचे के रखरखाव से संबंधित कार्यों को सौंपने के लिए पी.एस.यू. के पैनल बनाने के उद्देश्य से वर्तमान ई.ओ.आई. में वर्णित शर्तों और दशाओं के पालन का वचन देते हैं।
4. हम एतद् द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि इस बोली में दी गई सभी जानकारी, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा बोलीकर्ता संगठन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।
5. हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की चयन समिति और / या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।
6. हम जानते हैं कि यदि वर्तमान ई.ओ.आई. दस्तावेज़ की किसी शर्त या दशा का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्थान द्वारा ई.एम.डी. और / या निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए हम अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।
7. मुख्य मुहरबंद लिफाफे में ई.एम.डी. और मूल्य बोली को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करते हैं।
8. हमने एम.ओ.यू. के मसौदे का अध्ययन किया है और इसे भलीभांति समझ लिया है और यदि हमें पैनलबद्ध किया जाता है तो हम इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

दिनांक:

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : .....

नाम और पदनाम : .....

संलग्नक - बी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(मानद सम विश्वविद्यालय)

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु वित्तीय बोली के लिए प्रपत्र

बोली**कर्ता** संगठन का नाम और पूरा पता	

हम सेवा प्रभार के रूप में निम्नलिखित एकमुश्त प्रभार प्रस्तावित करते हैं: -

बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिशत (%) अंक में	बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिशत (%) शब्दों **में**

घोषणा

i) हमने ई.ओ.आई. दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है।

ii) हमने ग्वालियर में स्थित संस्थान के परिसर का भ्रमण किया है और कार्य के दायरे के साथ-साथ विस्तृत दस्तावेज में दी गयी संदर्भ की शर्तों को भी समझ लिया है और तदनुसार, वर्तमान बोली प्रस्तुत की है।

iii) हम एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर द्वारा उनके जमा कार्यों या आधारभूत ढांचे के रखरखाव से संबंधित कार्यों को सौंपने के लिए पी.एस.यू. के पैनल बनाने के उद्देश्य से वर्तमान ई.ओ.आई. में वर्णित शर्तों और दशाओं के पालन का वचन देते हैं।

iv) हम एतद् द्वारा यह पुष्टि करते हैं कि इस बोली में दी गई सभी जानकारी, मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार तथा बोलीकर्ता संगठन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

v) हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की चयन समिति और / या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

vi) हम जानते हैं कि यदि वर्तमान ई.ओ.आई. दस्तावेज़ की किसी शर्त या दशा का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्थान द्वारा ई.एम.डी. और / या निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए हम अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं।

vii) मुख्य मुहरबंद लिफाफे में ई.एम.डी. और मूल्य बोली को दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करते हैं।

viii) हमने एम.ओ.यू. के मसौदे का अध्ययन किया है और इसे भलीभांति समझ लिया है और यदि हमें पैनलबद्ध किया जाता है तो हम इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

दिनांक:

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर : .....

नाम और पदनाम : .....

संलग्नक - सी

एल.एन.आई.पी.ई. ग्वालियर में जमा कार्यों एवं आधारभूत ढ़ांचा रखरखाव कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों का पैनल बनाने हेतु बोली के साथ प्रस्तुत करने के लिए कारोबार का प्रमाणपत्र

(मूलप्रति प्रस्तुत करना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान निम्नलिखित कारोबार और लाभ / हानि दर्ज की है : -

वित्तीय वर्ष	**वार्षिक** कारोबार **(रुपए में)**	**कुल लाभ/हानि**

हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त जानकारी/आंकड़े सत्य और प्रामाणिक हैं और इन्हें उक्त फर्म की बैलेंस शीट और / या आयकर रिटर्न से प्राप्त किया गया हैं।

दिनांक:

स्थान :

चार्टर्ड एकाउंटेंट की मुहर और हस्ताक्षर .....

पंजीकरण क्रमांक .....

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस

बात से अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से अनुबंध की अवधि के दौरान या किसी भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त हो जाएगी, साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक:

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर :.....

एजेंसी का नाम, पता, फ़ोन नंबर (मुहर के साथ) :.....

संलग्नक - डी

समस्त जमा कार्यों और/ अथवा आधारभूत ढांचा रखरखाव कार्यों हेतु

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय)

एवं

के मध्य समझौता ज्ञापन

इस समझौता ज्ञापन पर, जिसे इसके बाद एम.ओ.यू. कहा जाएगा, दिनांक ..... को पहले पक्षकार के रूप में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर, मेला रोड, शक्ति नगर, ग्वालियर 474002 (म.प्र.), (जिसे इसके बाद एल.एन.आई.पी.ई. जाना जाएगा) द्वारा अपने कुलसचिव ..... के माध्यम से, तथा दूसरे पक्षकार के रूप में मेसर्स..... (जिसे इसके बाद 'निर्माण एजेंसी' के रूप में जाना जाएगा) द्वारा अपने ..... के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए।

जबकि एल.एन.आई.पी.ई. का इरादा ग्वालियर स्थित अपने मौजूदा परिसर के समस्त जमा कार्यों (नए सिविल और इलैक्ट्रिकल कार्य) के साथ-साथ आधारभूत ढांचा रखरखाव कार्यों (जिसे इसके बाद 'कार्य' के रूप में जाना जाएगा) को संपादित करने हेतु एक निर्माण एजेंसी के रूप में एक पी.एस.यू./पी.एस.ई. का पैनल बनाने का है, और इस उद्देश्य हेतु इसने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, अपने कार्यों के निष्पादन के लिए एकमुश्त सेवा शुल्क पर पीएसयू / पीएसई के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

और जबकि ..... मंत्रालय के तहत ..... सरकार के उपक्रम ..... ने उक्त अभिरुचि के अभिव्यक्ति प्रक्रिया में भाग लिया है और खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर एल.एन.आई.पी.ई. ने अपने समस्त जमा कार्यों के साथ-साथ आधारभूत ढांचा रखरखाव कार्यों के निष्पादन के लिए 5 साल की अवधि के लिए पैनल की पेशकश की है और इसने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

इसलिए अब, इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्षकार निम्नलिखित बातों के लिए परस्पर सहमत हैं: -

ए. .....के उत्तरदायित्व

1. ..... केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली और विशिष्टताओं के अनुसार, एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा दिए गए कार्य के दायरे के अनुसार, सभी आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं सहित समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करके दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति के अनुसार एल.एन.आई.पी.ई. को उपयोग करने के लिए तैयार दशा में सौंपेगा।

2. ..... एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा प्राप्त ड्राइंग, डिजाइन या आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को निष्पादित करेगा।

3. ..... इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता, गुणवत्ता और सौंदर्य के लिए जिम्मेदार होगा।

4. एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा दी गई आवश्यकताओं और कार्य के दायरे के आधार पर, ... प्रारंभिक अवधारणा ड्राइंग के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, जहां कहीं भी लागू हो, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्लिंथ क्षेत्रफल मानदंडों के आधार पर प्रारंभिक अनुमान तैयार करेगा, और जहां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरें लागू नहीं होती हैं, वहां परियोजना के स्थान और बाजार दर विश्लेषण के आधार पर वर्तमान लागत सूचकांकों के साथ अद्यतन प्रारंभिक अनुमान तैयार करेगा। इन अनुमानों में समस्त देय कर, और प्रत्याशित व्यय के सभी मदों का व्यापक रूप से समावेश होगा। इस अनुमान के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के आवश्यक परिपत्र / स्वीकृत दरें संलग्न की जानी चाहिए, जिनका उपयोग अनुमान लगाने में किया जाएगा।

5. ....., एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा कार्य आगे बढ़ाने की स्वीकृति मिलने पर, अनुमानित मूल्य की आरंभिक जमा राशि @10% के साथ एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा तय प्राथमिकताओं के अनुसार चरणों में विभिन्न प्रस्तावित कार्यों के विस्तृत वास्तुशिल्प और कार्य की ड्राइंग तैयार करेंगे, और साथ ही प्रारंभिक अनुमान / प्रारंभिक निधि जारी होने के अनुमोदन के 2 माह के भीतर विस्तृत अनुमान तैयार करेंगे। कार्य के विस्तृत अनुमान की योजना बनाते और तैयार करते समय, ... निर्माण की लागत को कम करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे,

सामग्रियों आदि का उपयोग संभव सीमा तक करने का प्रयास करेगा।

6. ....., प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जारी करने के लिए सी.पी.डब्ल्यु.डी. या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण संगठन द्वारा तय की गई दरों की अनुसूची के आधार पर विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, ड्राइंग, विवरण और विस्तृत विनिर्देश और विभिन्न सामग्रियों की मात्रा सहित विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करेगा।

7. ....., सभी वास्तुशिल्प और संरचनात्मक ड्राइंग, मात्रा बिल, विनिर्देश, कार्य के निष्पादन के लिए निविदा दस्तावेज तैयार और प्रस्तुत करेगा और एल.एन.आई.पी.ई. के सक्षम प्राधिकारी से ड्राइंग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

8. ....., एल.एन.आई.पी.ई. की ओर से, यदि आवश्यक हो, स्थानीय निकायों से सभी वैधानिक अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा एल.एन.आई.पी.ई. को प्रस्तुत करेंगे। एल.एन.आई.पी.ई. इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

9. निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ....., अपने ठेकेदारों को कार्य प्रदान करेंगे तथा उक्त कार्य आदेश और करार की एक प्रति एल.एन.आई.पी.ई. को प्रदान करेंगे तथा साथ ही साथ एल.एन.आई.पी.ई. से द्वितीय जमा की मांग करेंगे जो कि अनुमोदित अनुमानित राशि की 15% है।

10. ..... मासिक व्यय रिपोर्ट और परियोजना की भौतिक प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार एल.एन.आई.पी.ई. से आगे की जमाराशि की मांग करेगा। ..... से अनुरोध प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर एल.एन.आई.पी.ई. जमा प्रदान करेगा।

11. ..... एल.एन.आई.पी.ई. को परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को दर्शाती हुई मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ..... के तहत निर्धारित प्रारूप का उपयोग करेंगे।

12. ..... अनुमोदित प्रारंभिक अनुमानों में उल्लिखित अवधि के भीतर कार्य को पूरा करेंगे। कार्य पूर्ण होने के समय का निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण योजनाओं के अनुमोदन की तिथि अथवा एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा कार्य स्थल को सौंपने की तिथि, जो भी बाद में हो, से माना जाएगा। बाहरी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में देरी होने के मामले में, अथवा ..... के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण यदि गतिविधियों में कोई देरी होती है, तो कार्य पूर्णत: अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

13. ..... अनुमोदित अनुमानित लागत के भीतर ही परियोजना को पूरा करने का प्रयास करेगा। संभावित लागत में किसी भी तरह के अतिरिक्त खर्च की संभावना होने पर खर्च के औचित्य के साथ एल.एन.आई.पी.ई. को अनुमोदन हेतु सूचित किया जाना चाहिए। ..... एल.एन.आई.पी.ई. को पूर्ण औचित्य के साथ संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत करेगा।

14. किसी भी कारण से ..... द्वारा ठेकेदार पर लगाये गए अर्थदंड/ ई.एम.डी. की जब्ती और / अथवा निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती को एल.एन.आई.पी.ई. के संबंधित परियोजना के खातों में जमा किया जाएगा।

15. ..... खातों को अंतिम रूप देंगे और प्रत्येक कार्य के पूरा होने के 6 महीने के भीतर एल.एन.आई.पी.ई. को कार्य की अंतिम लागत सूचित करेंगे।

16. यदि एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा जमा की गयी राशि, कार्य में हुए खर्च से अधिक है, तो ..... कार्य पूर्ण होने के 6 महीने के भीतर एल.एन.आई.पी.ई. को शेष राशि लौटा देंगे।

17. एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा ..... को स्वीकृत अनुमान (नों) की राशि के अलावा किसी भी तरह का अन्य भुगतान देय नहीं होगा। इसलिए, ... यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि सौंपा गया कार्य स्वीकृत अनुमानों के भीतर पूर्ण हो।

18. ..... सौंपे गए प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग वित्तीय खातों के रखरखाव हेतु भी जिम्मेदार होंगे और कार्यों के मध्य राशियों का उपयोग या विनियोग नहीं किया जाएगा।

19. ..... पूर्ण की गयी ड्राइंग (आरेखण), सेवा योजनाओं और पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ तैयार हुए भवनों को एल.एन.आई.पी.ई. को सौंप देंगे।

20. ..... साइट पर काम के नियमित पर्यवेक्षण के लिए अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

21. कार्य पूरा होने के बाद, ... इन्वेंट्री की एक सूची तैयार करेगा और भवनों और इन्वेंट्री को एल.एन.आई.पी.ई. को सौंपेगा। संयुक्त निरीक्षण के बाद, तैयार की गयी इन्वेंट्री तथा पाये गए दोषों की सूची, यदि कोई हो, को एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा विधिवत रूप से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि उसे वापस प्राप्त नहीं किया गया है या निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण किए गए भवनों के संबंध में किसी तरह की कमियों की सूचना..... को नहीं दी जाती है, तो यह

मान लिया जाएगा कि भवन / कार्य को सौंप दिया गया है और उस तिथि से देयता अवधि शुरू हो जाएगी।

22. एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा भवन को उपयोग के लिए फिट पाये जाने पर ही कार्य को वास्तविक रूप से पूर्ण हुआ माना जाएगा, जिसके एवज में यह ..... द्वारा प्रस्तुत की गयी इन्वेंट्री पर हस्ताक्षर करेगा। हालाँकि, यदि एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा किसी तरह का दोष बताया जाता है, तो ..... द्वारा यथासंभव शीघ्रता से उसका निवारण किया जाएगा।

23. सी.पी.डब्ल्यु.डी. कार्यों के लिए अनुबंध की सी.पी.डब्ल्यु.डी. सामान्य शर्तों के अनुसार कार्य पूरा होने की तिथि से दोष देयता की अवधि 12 माह होगी।

24. ..... मुख्य तकनीकी परीक्षक, महालेखा परीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य वैधानिक अधिकारियों द्वारा कार्य से संबंधित टिप्पणियों के उत्तर देंगे और उनका पालन करेगा।

25. ..... को एल.एन.आई.पी.ई. की ओर से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ अपने अनुमोदित मानदंडों और दस्तावेजों का पालन करते हुए या तो एजेंसियों / ठेकेदारों द्वारा कार्य निष्पादित कराना होगा अथवा विभागीय निर्माण को अपनाते हुए, अर्थात ..... द्वारा समस्त आवश्यक सामग्रियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर क्रय करके ठेकेदार श्रमिकों की तैनाती द्वारा स्वीकृत लागत के भीतर पूर्ण करना होगा।

26. ..... निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण, निष्पादन और प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होगा और मुख्य तकनीकी परीक्षक / केंद्रीय सतर्कता आयोग को सेवाओं के दायरे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु भी जिम्मेदार होगा।

27. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली में निहित कुछ दिशानिर्देशों के बावजूद, ... पूरी तरह से ..... कारणवश निर्धारित समय सीमा में परियोजना पूरी न हो पाने की स्थिति में एल.एन.आई.पी.ई. को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्षति की गणना समय-समय पर सी.पी.डब्ल्यु.डी. मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जो इस समझौता ज्ञापन में वर्णित अधिकतम एकमुश्त सेवा प्रभार के अधीन है।

28. कार्य के निष्पादन के लिए लगे ..... द्वारा ठेकेदार पर लगाए गए किसी भी दंड / क्षतिपूर्ति को एल.एन.आई.पी.ई. के संबंधित कार्य खाते में जमा किया जाएगा।

29. ..... समय-समय पर जारी सी.वी.सी. निर्देशों और दिशानिर्देशों सहित निर्माण गतिविधियों पर लागू सभी विधियों के प्रावधानों का पालन करेगा और एल.एन.आई.पी.ई. का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

30. ..... समय-समय पर एल.एन.आई.पी.ई. परिसर में निर्माण स्थल पर बगाए गए सभी अस्थायी साइट कार्यालयों, भंडार सामग्री यार्ड, श्रमिक झोपड़ियों को हटाएगा।

31. ..... अपनी अथवा अपने ठेकेदार और श्रमिकों द्वारा की जाने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण एल.एन.आई.पी.ई. की सामान्य गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने का वचन देता है तथा वह एल.एन.आई.पी.ई. परिसर में अपने ठेकेदारों या श्रमिकों की उपस्थिति के दौरान उनके सभी कृत्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

32. ..... कार्य पूर्ण होने के पश्चात, सी.पी.डब्ल्यु.डी. के प्रपत्र के अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र और अंतिम व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।

33. एल.एन.आई.पी.ई. के पास अपने अधिकृत व्यक्ति / फर्म / संगठन के माध्यम से, किसी भी समय और समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, ताकि इस बात की संतुष्टि की जा सके कि ..... द्वारा किया जा रहा कार्य प्रारंभिक अनुमान / विस्तृत अनुमान में दर्शायी गयी ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार हो रहा है। यदि निरीक्षण के दौरान एल.एन.आई.पी.ई. की लिखित स्वीकृति के बिना किसी भी तरह का दोष, भिन्नता या विचलन पाया जाता है, तो एल.एन.आई.पी.ई. या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सूचना पर ..... द्वारा 30 दिनों के भीतर स्वयं की लागत पर इसमें सुधार करना होगा।

बी. एल.एन.आई.पी.ई. के उत्तरदायित्व :

1. एल.एन.आई.पी.ई. विशेष रूप से जमा कार्य या बुनियादी ढाँचे के रखरखाव के कार्य को ..... को लिखित रूप में सूचित करेगा तथा उन्हें कार्य के दायरे और आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करेगा ताकि कार्य की प्रारंभिक ड्राइंग तैयार की जा सके और वह प्रारंभिक ड्राइंग को अनुमोदित करेगा।

2. एल.एन.आई.पी.ई. ..... से प्रारंभिक वास्तुकला अवधारणा और प्रारंभिक अनुमान प्राप्त होने पर, ... को अनुवर्ती कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान करेगा और प्रारंभिक जमा के रूप में कुल प्रारंभिक अनुमानित

राशि का 10% भी जारी करेगा, जो कि ब्याज मुक्त होगा और अंतिम रूप से व्यय का समायोजन होने तक बनाए रखा जाएगा।

3. एल.एन.आई.पी.ई., विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन, आरेखण, विनिर्देशों और विस्तृत विनिर्देशों की प्राप्ति पर, विस्तृत अनुमान और अन्य अपेक्षित विवरणों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्रदान करेगा, और स्वीकृत अनुमानित राशि का 15% @ दूसरी जमा राशि भी जारी करेगा।

4. एल.एन.आई.पी.ई. ..... को भूमि या स्थान उपलब्ध करायेगा ताकि सौंपा गया कार्य पूरा किया जा सके। यदि आवश्यक हो, तो ..... मौजूदा इमारतों और संरचनाओं के विध्वंस या निपटान की जिम्मेदारी लेगा।

5. एल.एन.आई.पी.ई. ..... से अनुरोध प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर मासिक व्यय रिपोर्ट और कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर ..... को राशि जारी करेगा।

6. एल.एन.आई.पी.ई. यह सुनिश्चित करेगा कि सौंपे गए कार्य (यों) के निष्पादन के लिए ..... के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। यदि धन की अनुपलब्धता के कारण ..... को कार्य स्थगित करना या त्यागना आवश्यक हो जाता है, तो ..... को ठेकेदारों की क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावों के लिए उस विशेष अवधि हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

7. एल.एन.आई.पी.ई. संशोधित प्रारंभिक अनुमान के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि कार्य का वास्तविक व्यय स्वीकृत अनुमान के 10% से अधिक है, बशर्ते यह कार्य या संशोधन कार्य के दायरे में हुई वृद्धि के कारण है, जिसकी सूचना एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा कार्य के दौरान समुचित कारणों को इंगित करते हुए लिखित रूप से दी गयी है।

8. अगर अनुमोदित ड्राइंग में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है, तो एल.एन.आई.पी.ई. मूल रूप से निर्धारित किए गए समय और / या लागत में वृद्धि करेगा।

9. एल.एन.आई.पी.ई. न्यायालय, न्यायाधिकरण द्वारा अधिरोपित या सौंपे गए काम के संबंध में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में सभी राशियों के भुगतान के लिए ..... को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा, बशर्ते एल.एन.आई.पी.ई. संतुष्ट हो कि ऐसी अतिरिक्त राशियों के भुगतान की जिम्मेदारी एल.एन.आई.पी.ई. की बनती है।

10. एल.एन.आई.पी.ई. ..... या इसके ठेकेदारों को कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण स्थल के पास मुफ्त में एक साइट कार्यालय, भंडार गोदाम, श्रमिक झोपड़ी और अस्थायी रूप से भूजल निष्कर्षण सुविधा, उपलब्ध

कराने की अनुमति देगा।

11. एल.एन.आई.पी.ई. सामान्य शुल्क के भुगतान पर कार्य स्थल तक ठेकेदारों की सामग्री और श्रमिकों की पहुंच के लिए सुरक्षा मंजूरी और बिजली कनेक्शन प्रदान करेगा। इसके अलावा, एल.एन.आई.पी.ई. या इसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सामग्रियों के प्रवेश के दौरान सुरक्षा द्वार पर समुचित जांच की जाएगी, जिसके लिए ..... या उसके द्वारा कार्य स्थल पर नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ..... पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

12. एल.एन.आई.पी.ई. ..... के साथ समन्वय और बातचीत के लिए अपने एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगा। वह निर्णय लेने और कार्य को पूरा करने में ..... की सहायता करने के लिए अधिकृत होगा।

सी. एकमुश्त सेवा प्रभार :

पक्षकारों ने ई.ओ.आई. प्रक्रिया के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर यह सहमति व्यक्त की है कि ..... केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों का पालन करते हुए जमा कार्य और रखरखाव/ मरम्मत कार्यों को निष्पादित करेगा, और एल.एन.आई.पी.ई. उन्हें कार्य की वास्तविक लागत का @.....%_(..... प्रतिशत) एकमुश्त सेवा प्रभार के भुगतान हेतु सहमत है। दूसरे शब्दों में, परियोजना लागत का अर्थ है निर्माण कार्य या आधारभूत ढांचे के रखरखाव में शामिल मौजूदा सामग्री की लागत सहित निर्माण, सेवाओं, फर्नीचर उपकरणों आदि की कुल लागत, यदि कोई हो।

डी. जमाराशि का लेखाकरण :

एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा जमा के रूप में जारी की गई राशियों को ..... द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में रखना आवश्यक है, तथा किए जा रहे कार्यों की नियमित व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू खाते में सदैव 10.00 लाख रुपये होने चाहिए। एल.एन.आई.पी.ई. द्वारा उक्त राशि से अधिक जारी की गयी धनराशि को सावधि जमा (खातों) में रखा जाएगा, जिसे कार्य की आवश्यकता के अनुसार ..... द्वारा आहरित किया जा सकता है। ..... इन जमाओं पर प्राप्त त्रैमासिक ब्याज को रजिस्ट्रार, एल.एन.आई.पी.ई., के ग्वालियर में देय खाते में चैक/मांग ड्राफ्ट द्वारा या एनईएफटी / आरटीजीएस सुविधा के माध्यम से लिखित रूप से सूचित करते हुए जमा करेगा। एल.एन.आई.पी.ई. ..... के बैंकरों के पैनल में से बैंक का चयन कर सकता है।

ई. मध्यस्थता और न्यायक्षेत्र :

1. वर्तमान एम.ओ.यू. या ई.ओ.आई. की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी विवाद / मतांतर, नियमों और शर्तों की व्याख्या सहित, को संबंधित पक्षों के मध्य संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा।
2. हालाँकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल नहीं किया जा पाता है, तो मामला मध्यस्थता अधिनियम 1940 / मध्यस्थता और अनुबंध अधिनियम 1996 (भारत सरकार के नियम और दिशानिर्देश) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति, एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा की जाएगी और इसका निर्णय अंतिम और इस एम.ओ.यू. के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
3. यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के बाद भी विवाद का निपटारा नहीं होता है, तो विवाद की सुनवाई सिर्फ ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में होगी।
4. एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा सौंपे गए कार्य (ओं) से उत्पन्न होने वाले ..... और ठेकेदार के बीच मध्यस्थता के मामले में, ... कार्य के निष्पादन से संबंधित सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों और अदालत में मामले का बचाव करेगा। एल.एन.आई.पी.ई. किसी भी समय मध्यस्थता की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है और ऐसे मामले में, ... को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। एल.एन.आई.पी.ई. को मध्यस्थता के प्रत्येक चरण में मध्यस्थता के मामलों से पूरी तरह अवगत रखा जाएगा अर्थात मध्यस्थ की नियुक्ति, तथ्यों के विवरण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना और तथ्यों के प्रतिदावा, दैनिक सुनवाई शीट, निर्णय की प्रति और अंतिम निर्णय की प्रतिलिपि आदि। एल.एन.आई.पी.ई. अपने पास उपलब्ध ऐसी किसी भी अतिरिक्त जानकारी को प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो उसकी राय में, मध्यस्थता के मामले का बचाव करने में सहायक साबित हो सकती है। मध्यस्थता की कार्यवाही में एल.एन.आई.पी.ई. के विरुद्ध पारित किसी भी आदेश के मामले में, ... एल.एन.आई.पी.ई. से मध्यस्थता न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार करने या चुनौती देने का निर्णय लेने के पूर्व परामर्श करेगा, और यहकि वह एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर के परामर्श को समुचित महत्त्व देगा।

एफ. संशोधन :

परिस्थितियों के अनुरूप इस एम.ओ.यू. के नियमों और शर्तों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से संशोधन या परिवर्धन किया जा सकता है।

जी. विविध :

एल.एन.आई.पी.ई., ग्वालियर द्वारा अपने जमा कार्यों और आधारभूत ढ़ांचे के रखरखाव संबंधी कार्यों हेतु अखिल भारतीय आधार पर पीएसयू / पीएसई के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर आमंत्रित की गयी अभिरुचि की

अभिव्यक्ति के अनुपालन में चूंकि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, अत: ई.ओ.आई. दिनांक ..... को इस समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग माना जाएगा और कुलमिलाकर दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

दिनांक ..... 2022 दिन ..... को ग्वालियर में हस्ताक्षर किए गए।

कृते एवं की ओर से

..... कृते एवं की ओर से

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर

गवाहों के हस्ताक्षर -

1. 1.

2. 2.